न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूँगरपुर

(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 12 / 2020 — दायर दिनांक 13.03.2020
जीसीएमएस नं. 2020 / 00018 — निर्णय दिनांक 10.09.2025

1. शंकर पिता मोगा डेण्डोर, निवासी डूँगरसारण तहसील चिखली जिला डूँगरपुर

— अपीलाण्ट

वनाम

1. फुला पिता लाल रोत
2. लक्ष्मण पिता लाला रोत
3. सोमा पिता लाला रोत
4. रसी पत्नी लाला रोत

निवासी डूँगरसारण तहसील चिखली जिला डूँगरपुर

5. *भूमिधारी, तहसीलदार चिखली, जिला डूंगरपुर।*

— रेस्पोडेण्ट्स

अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970

उपस्थित — 1.श्री प्रवीण शुक्ला — अधिवक्ता अपीलाण्ट
2. श्री बालगोविन्द — अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4

—:निर्णय:— दिनांक — 10.09.2025

1 अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी गांव डूंगरसारण का निवासी होकर काश्तकार है। विपक्षीगण के पिता लाला रोत द्वारा मौजा डूँगरसारण के खसरा नम्बर 550 / 80 रकबा 13 बिस्वा, 551 / 80 रकबा 04 बिस्वा, 553 / 80 रकबा 01 बिस्वा, 556 / 80 रकबा 05 बिस्वा, 558 / 80 रकबा 09 बिस्वा, 559 / 80 रकबा 09 बिस्वा, 560 / 80 16 बिस्वा, 562 / 80 1 बीघा 6 बिस्वा कुल रकबा 5 बीघा 02 बिस्वा का आवंटन दिनांक 26.

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

05.1990 को अपने नाम मिली भगत कर व तथ्यो को छिपाते हुए आवंटन करा लिया है। विपक्षीगण लाला के वारिसान है और लाला की मृत्यु हो गई है, उक्त जमीन पर लाला व उसकी मृत्यु के उपरान्त विपक्षीगण का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है । उक्त खसरा नम्बर पर प्रार्थी के द्वारा काश्त की गई व भारी राशि खर्च कर व कठोर परिश्रम कर भूमि को उन्नत बनाया है। प्रार्थी के पिता का वक्त सेटलमेंट से उक्त भूमि पर कब्जा है, जिसका इन्द्राज सेटलमेंट के रिकार्ड में है।उक्त भूमि पर प्रार्थी के पूर्वजो की समाधि भी बनी हुई है , प्रार्थी का अपने पिता के जीवनकाल से कब्जा काश्त है जिसकी जानकारी विपक्षीगण को प्रारंभ से ही रही है। विपक्षीगण के पिता भूमि के आवंटन के पात्र नही थे। वे गांव सलाखडी के मुल निवासी थे। जहां पर कडाणा डेम के कारण भूमि डूब में जाने से 15 बीघा जमीन का आवंटन कडाणा विभाग द्वारा कर दिया गया है। इसके बावजूद भी अपने आपको भूमिहीन बता कर भूमि का आवंटन अपने नाम विपक्षी के पिता द्वारा करा लिया हैं।उक्त आवंटन की जानकारी प्रार्थी को विपक्षी द्वारा दिनांक 05.12.2019 को जबरन भूमि पर प्रवेश कर कब्जा लेने के प्रयास किया, जिस पर प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड कि नकले प्राप्त की तो प्रार्थी को उक्त आवंटन की जानकारी हुई। जिस पर प्रार्थी द्वारा आवंटन मिसल की नकल लेने प्रयास किया परन्तु गैर खातेदारी में नामान्तरण दायर करने में मिसल नम्बर का इन्द्राज नही होने से आवंटन मिसल प्रार्थी को करने के उपरान्त भी प्राप्त नही हो पाई। आवंटन नियम 20 की पालना नही हुई है आवंटी को कभी कब्जा सुपुर्द नही किया गया है, ऐसी स्थिति में आवंटन की प्रकिया अपूर्ण होने से आवंटन निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौझा डूँगरसारण के खसरा नम्बर 550/80, 551/80, 553/80, 556/80, 558/80, 559/80, 560/80, 562/80 का आवंटन निरस्त किये जाने आदेश फरमावे।

2. उपरोक्त अपील प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट कि तलबी जरिये सम्मन जारी कर की गई। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 04 की ओर से अधिवक्ता श्री बाल गोविन्द द्वारा वकालत नामा व जवाब दावा पेश किया ।

3. रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि विधि अनुसार ही विपक्षीगण के पिता लाला रोत को भूमि का आवंटन हुआ है। प्रार्थी ने गलत एवं मनगढंत तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज योग्य है। विपक्षीगण का ग्राम डूँगरसारण के आराजी नम्बर 550/80, 551/80, 553/80, 556/80, 558/80, 559/80, 560/80, 562/80 पर कब्जा नही होने की बात सरासर गलत है क्योंकि विपक्षीगण के पिता लाला का करीब 50 साल पूर्व से उक्त आराजी पर कब्जा है तथा विपक्षीगण के पिता के नाम आवंटन हुआ था तथा मौके पर कब्जा सुपुर्द किया था। खातेदारी अधिकार दिये थे। वर्तमान में

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

विपक्षीगण के पिता की मृत्यु के बाद लगातार उक्त आराजी पर विपक्षीगण का कब्जा काश्त बना हुआ है। लेकिन प्रार्थी विधिविरूद्ध जबरन जमीन हडपने के लिए आए दिन झगडा फसाद करता है। उक्त आराजी पर प्रार्थी या उनके पूर्वजो का व परिवार का कभी भी कब्जा नही रहा है न ही कोइ समाधि बनी हुई है। विपक्षीगण के पिता का उक्त आराजी पर पुराना कब्जा होने के आधार पर ही विधि व नियमानुसार राजस्व कर्मचारियों द्वारा आवंटन कर कब्जा सुपुर्द किया था तथा विपक्षीगण के पिता को खातेदारी अधिकार दिये थे। विपक्षीगण व उसके पिता का उक्त आराजी पर कब्जा बना हुआ है तथा मौके पर काश्त कर फसल प्राप्त करते है ये बात प्रार्थी को प्रारम्भ से जानकारी में है लेकिन प्रार्थी ने कभी भी मौके पर आकर विपक्षीगण को काश्त करने में रूकावट पैदा नही की। ऐसे में प्रार्थी को कोई विधिक अधिकार नही है कि विपक्षीगण के खातेदारी भूमि में विपक्षीगण को काश्त करने में रूकावट पैदा करे। आवंटन समिति द्वारा विधि एवं नियमानुसार सभी शर्तो की पालना कर ही विपक्षीगण के पिता के नाम आवंटन किया था आवंटन के आधार पर विपक्षीगण के पिता के नाम वादग्रस्त आराजी रिकार्ड में दर्ज हुई थी, उसके बाद खातेदारी अधिकार दिए थे ऐसे में प्रार्थी को कोई विधिक अधिकार नही है कि विपक्षीगण के नाम आवंटन को निरस्त करा सके।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का आदेश फरमावे।

4. **हमने अपील प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सूनी।**

5. अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपील प्रार्थना पत्र कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षीगण के पिता लाला रोत द्वारा मौजा डूँगरसारण के खसरा नम्बर 550/80 रकबा 13 बिस्वा, 551/80 रकबा 04 बिस्वा, 553/80 रकबा 01 बिस्वा, 556/80 रकबा 05 बिस्वा, 558/80 रकबा 09 बिस्वा, 559/80 रकबा 09 बिस्वा, 560/80 16 बिस्वा, 562/80 1 बीघा 6 बिस्वा कुल रकबा 5 बीघा 02 बिस्वा का आवंटन दिनांक 26.05.1990 को अपने नाम मिली भगत कर व तथ्यो को छिपाते हुए आवंटन करा लिया है।

विपक्षीगण लाला के वारिसान है और लाला की मृत्यु हो गई है, उक्त जमीन पर लाला व उसकी मृत्यु के उपरान्त विपक्षीगण का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है । प्रार्थी के पिता का वक्त सेटलमेंट से उक्त भूमि पर कब्जा है जिसका इन्द्राज सेटलमेंट के रिकार्ड में है। विपक्षीगण के पिता भूमि के आवंटन के पात्र नही थे ,वे गांव सलाखडी के मुल निवासी थे जहां पर कडाणा डेम के कारण भूमि डूब में जाने से 15 बीघा जमीन का आवंटन कडाणा विभाग द्वारा कर दिया गया है। इसके बावजूद भी अपने आपको भूमिहीन बता कर भूमि का आवंटन अपने नाम विपक्षी के पिता द्वारा करा लिया हैं। आवंटन नियम 20 की पालना नही

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

हुई है। आवंटी को कभी कब्जा सुपुर्द नही किया गया है ऐसी स्थिति में आवंटन की प्रकिया अपूर्ण होने से आवंटन निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन निरस्त फरमावे।

6. अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट स. 01 से 04 की ओर अपनी बहस में जवाब दावा के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी ने गलत एवं मनगढंत तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज योग्य है। विपक्षीगण का ग्राम डूँगरसारण के आराजी नम्बर 550/80, 551/80, 553/80, 556/80, 558/80, 559/80, 560/80, 562/80 पर कब्जा नही होने की बात सरासर गलत है क्योंकि विपक्षीगण के पिता लाला का करीब 50 साल पूर्व से उक्त आराजी पर कब्जा है तथा विपक्षीगण के पिता के नाम आवंटन हुआ था तथा मौके पर कब्जा सुपुर्द किया था। खातेदारी अधिकार दिये थे। वर्तमान में विपक्षीगण के पिता की मृत्यु के बाद लगातार उक्त आराजी पर विपक्षीगण का कब्जा काश्त बना हुआ है। उक्त आराजी पर प्रार्थी या उनके पूर्वजो का व परिवार का कभी भी कब्जा नही रहा है न ही कोइ समाधि बनी हुई है।

बहस में आगे निवेदन किया कि विपक्षीगण व उसके पिता का उक्त आराजी पर कब्जा बना हुआ है तथा मौके पर काश्त कर फसल प्राप्त करते है। आवंटन समिति द्वारा विधि एवं नियमानुसार सभी शर्तो की पालना कर ही विपक्षीगण के पिता के नाम आवंटन किया था आवंटन के आधार पर विपक्षीगण के पिता के नाम वादग्रस्त आराजी रिकार्ड में दर्ज हुई थी उसके बाद खातेदारी अधिकार दिए थे ऐसे में प्रार्थी को कोई विधिक अधिकार नही है कि विपक्षीगण के नाम आवंटन को निरस्त करा सके।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का अपील प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

7. **हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया ।** पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी मौजा डूँगरसारण के खसरा नम्बर 550/80 रकबा 13 बिस्वा, 551/80 रकबा 04 बिस्वा, 553/80 रकबा 01 बिस्वा, 556/80 रकबा 05 बिस्वा, 558/80 रकबा 09 बिस्वा, 559/80 रकबा 09 बिस्वा, 560/80 16 बिस्वा, 562/80 1 बीघा 6 बिस्वा कुल रकबा 5 बीघा 02 बिस्वा का आवंटन दिनांक 26.05.1990 को रेस्पोडेण्ट 1 से 4 के पिता/पति श्री लाला रोत को किया गया है। वर्तमान जमाबन्दी रिकोर्ड अनुसार रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 के नाम खातेदारी रिकोर्ड दर्ज है।

अपीलाण्ट द्वारा अपने अपील प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी पर स्वयं का कब्जा होना, विपक्षीगण का कब्जा काश्त नहीं होना, एवं आवंटी द्वारा आवंटन गलत रूप से कराया

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

जाना अकंन किया है। अपीलाण्ट द्वारा अपने अपील में रेस्पोडेण्ट को भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में नही आना अकंन किया है। *अपीलाण्ट द्वारा अपने अपील प्रार्थना पत्रो के कथनों में समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। साथ ही अपीलाण्ट की ओर से अपने प्रार्थना पत्र की पुष्टि में एवं बहस में दी गयी दलीलों की पुष्टि में ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है, जिसके आधार पर अपीलाण्ट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त साबित होता हो। अपीलाण्ट द्वारा आवंटी के कडाना विस्थापन अन्तर्गत भूमि आवंटन से सम्बन्धित कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। साथ ही आवंटी के भूमिहिन नहीं होने एवं आवंटन की पात्रता नहीं रखने बाबत भी कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। अपीलाण्ट की ओर से बिना किसी आधार के यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।*

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 बिना किसी आधार पर पेश करने से अस्वीकार करते हुए खारिज किया जाता है एवं आवंटन सलाहकार समिति द्वारा मौजा डूँगरसारण के खसरा नम्बर 550/80 रकबा 13 बिस्वा, 551/80 रकबा 04 बिस्वा, 553/80 रकबा 01 बिस्वा, 556/80 रकबा 05 बिस्वा, 558/80 रकबा 09 बिस्वा, 559/80 रकबा 09 बिस्वा, 560/80 16 बिस्वा, 562/80 1 बीघा 6 बिस्वा कुल रकबा 5 बीघा 02 बिस्वा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 को आवंटन की गयी भूमि के आवंटन आदेश को यथावत बहाल रखने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 10.09.25 को लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

(दिनेश धाकड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूँगरपुर